अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, लखनऊ-226005
फोन : 0522-2455155, 2455160 फैक्स : 0522-2454939 ई मेल : igprisons-up@nic.in

परिपत्र संख्या : 26 /लो0शि0 दिनांक : 27 नवम्बर, 2018

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि पिछले दिनों में विभिन्न टी0वी0 चैनलों पर जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध कतिपय बन्दियों द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग कर विभिन्न व्यक्तियों को धमकाने, कारागार के अन्दर कारतूस उपलब्ध होने, बन्दियों द्वारा शराब पीने, विभिन्न प्रकार की निषिद्ध वस्तुयें उपलब्ध होने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत देने आदि के सम्बन्ध में समाचार प्रसारित करने के साथ-साथ समाचार की वीडियो क्लिप दिखायी गयी है। विभिन्न टी0वी0 चैनलों पर चलने के अतिरिक्त यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है जिससे समाज में यह सन्देश गया है कि उत्तर प्रदेश की समस्त कारागारों में बन्दियों से सुविधा शुल्क प्राप्त कर इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। मीडिया में इस प्रकार से वीडियो वायरल होने के कारण शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल हुयी है।

दिनांक 15.11.18 को कारागार मुख्यालय पर हुयी समीक्षा बैठक में मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि कारागारों के अन्दर मोबाइल फोन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाये, परन्तु इस वीडियो के वायरल होने से यह स्पष्ट है कि दिये गये निर्देशों का पालन न तो आपके द्वारा स्वयं किया जा रहा है और न ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से इसका पालन कराया जा रहा है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक एवं घोर चिन्ता का विषय है।

इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात् शासन के सर्वोच्च स्तर से गहरी नाराजगी प्रकट की गयी है। आप सहमत होंगे कि यह वीडियो हमारे द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों की पोल-पट्टी खोलने के लिये पर्याप्त है। स्पष्ट है कि जो तकनीकी उपकरण हम लोगों द्वारा कारागारों के प्रवेश द्वार पर लगाये गये हैं उनका दक्ष तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यदि इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा होता तो कारागार के अन्दर कारतूस व अन्य निषिद्ध वस्तुयें किसी भी दशा में न पहुँच पातीं। जिला कारागार, रायबरेली के इस वीडियो के वायरल होने के उपरान्त वरिष्ठ अधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल, प्रधान बंदीरक्षक व 02 बंदीरक्षकों को निलम्बित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

..... 2

मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि दिनांक 15.11.18 को कारागार मुख्यालय पर हुयी समीक्षा बैठक एवं उससे पहले दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपनी कारागार को मोबाइल फोन सहित अन्य निषिद्ध सामग्री विहीन बनाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि किसी कारागार में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति पायी जायेगी तो सम्बन्धित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

27/11/18

(चन्द्र प्रकाश)

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त की प्रति समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कारागारों को मोबाइल फोन सहित अन्य निषिद्ध सामग्री विहीन बनाना सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि किसी कारागार में मोबाइल फोन/निषिद्ध सामग्री की बरामदगी होती है तो सम्बन्धित वरिष्ठ धीक्षक/अधीक्षक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आपके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।